न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ–बास जिला अलवर (राज0)

(प्रशासन गॉवो के संग अभियान ग्रा0प0 मख्यालय बम्बोरा)

अध्यासित द्वारा :– श्री ओमप्रकाश सहारण (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
01/20	20.1.20	25.11.21

उनवान

1. रतनलाल पुत्र स्व0श्री भरतसिंह जाति जाट निवासी ग्राम बम्बोरा तहसील किशनगढबास हाल निवासी शास्त्री कॉलोनी,गंज तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान।

:–प्रार्थी:–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब (लैण्ड होल्डर) किशनगढबास तहसील किशनगढबस जिला अलवर राज0।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0राजस्व अधिनियम

:–निणर्य:–

आज पत्रावली प्रशासन गावों के संग अभियान कैम्प ग्राम प0मुख्यालय पर पेश हुई:– प्रार्थना पत्र के सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार है:–

आराजी ख0न0 41/2009 रकबा 0.5100 हे0 खाता संख्या– 212,व 40/2008 रकबा 0.6100हे0 दर्ज खाता संख्या– 213, खसरा न0 58/2010 रकबा 0.9000, 875/2136 रकबा 0.1400, 886/2016 रकबा 0.1100, 961/2012 रकबा 0.5900, 962/2013 रकबा 0.5400,1043/2014 रकबा 0.3800, 1059/2137 रकबा 0.2400हे0 किता 07 रकबा 2.9000 है0 दर्ज खाता संख्या 701 व खसरा नम्बर 702 रकबा 0.0800है0 दर्ज खातासं0 702 व खसरा नं0 55 रकबा 0.7600, 56 रकबा 0.6600, 972 रकबा 0.5100 हे0 किता 3 रकबा 1.9300 हे0 दर्ज खाता सं0 703 व खसरा न0 955 रकबा 1.6600 दर्ज खाता सख्या–711 स्थिात वाके ग्राम बम्बोरा तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी मिन प्रार्थी को अपने पिता की फौतदगी के बाद विरासत में प्राप्त हुई आराजी है। नकल हाल जमाबंदी सवत 2074 प्रार्थनाा पत्र के साथ पेश की हुई है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम बतौर खातेदार दर्ज हो रहा है प्रार्थी अपने हिस्से की आराजी पर शांति पूर्वक काबिज काश्त कर रहा है। उक्त वर्णित खातो की आराजी के राजस्व रिकार्ड व हाल जमाबंदी मे मिन प्रार्थी का नाम रतनसिंह पुत्र भरत दर्ज हो रहा है, जो नाम गलत दर्ज हो रहा है प्रार्थी के पिता का नाम केवल भरत दर्ज हो रहा है, जो नाम गलत दर्ज हो रहा है। जबकी प्रार्थी का सही नाम रतनलाल पुत्र भरतसिह है तथा प्रार्थी के पिता का सही नाम भरत सिंह है । प्रार्थी के आधार कार्ड सं0 2026, 6193, 7275 में प्रार्थी का नाम

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

रतनलाल पुत्र भरतसिंह दर्ज हो रहा है। तथा प्रार्थी के फोटो पहचान पत्र व राशनकार्ड में भी प्रार्थी का नाम रतनलाल पुत्र भरतसिंह दर्ज हो रहा है। प्रार्थी के सभी दस्तावेजो में उसका नाम रतनलाल पुत्र भरत सिंह दर्ज हो रहा है। किन्तु राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम रतनसिंह पुत्र भरत दर्ज कर दिया है, जिसको प्रार्थी दुरूस्त करवाकर अपने समस्त राजस्व रिकार्ड में अपना नाम सही रतनलाल व अपने पिता का सही भरत सिंह दर्ज करवाना चाहता है। जो दुरूस्ती काबिल गोर न्यायालय श्रीमान है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि आराजी ख0न0 41/2009 रकबा 0.5100 हे0 खाता संख्या- 212,व 40/2008 रकबा 0.6100हे0 दर्ज खाता संख्या- 213, खसरा न0 58/2010 रकबा 0.9000, 875/2136 रकबा 0.1400, 886/2016 रकबा 0.1100, 961/2012 रकबा 0.5900, 962/2013 रकबा 0.5400,1043/2014 रकबा 0.3800, 1059/2137 रकबा 0.2400हे0 किता 07 रकबा 2.9000 है0 दर्ज खाता संख्या 701 व खसरा नम्बर 702 रकबा 0.0800है0 दर्ज खातासं0 702 व खसरा नं0 55 रकबा 0.7600, 56 रकबा 0.6600, 972 रकबा 0.5100 हे0 किता 3 रकबा 1.9300 हे0 दर्ज खाता सं0 703 व खसरा न0 955 रकबा 1.6600 दर्ज खाता सख्या-711 स्थित वाके ग्राम बम्बोरा तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान में प्रार्थी का नाम व प्रार्थी के पिता का नाम समस्त राजस्व रिकार्ड में रतनलाल पुत्र स्व0श्री भरतसिंह दर्ज किया जाकर समस्त राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया प्रतिवादी बावजूद सूचना उपस्थित नही ओर ना ही जवाब पेश किया। आज पत्रावली प्रशासन गावों के संग अभियान कैम्प में ग्राम पंचायत मुख्यालय बम्बोरा पर प्रार्थी उपस्थित हुए, प्रार्थी को सुना गया। तथा पैरोकार सरकार को सुना गया । प्रार्थी ने बताया कि आराजी विवादित में प्रार्थी का नाम व प्रार्थी के पिता का नाम समस्त राजस्व रिकार्ड में रतन सिंह पुत्र भरत दर्ज रिकार्ड है । जबकी प्रार्थी का सही नाम रतनलाल पुत्र भरत सिंह है तथा प्रार्थी के पिता का सही नाम भरत सिंह है । प्रार्थी के आधार कार्ड सं0 2026, 6193,7275 में प्रार्थी का नाम रतनलाल पुत्र भरतसिंह दर्ज हो रहा है। तथा प्रार्थी के फोटो पहचान पत्र व राशनकार्ड में भी प्रार्थी का नाम रतनलाल पुत्र भरतसिंह दर्ज हो रहा है। प्रार्थी के सभी दस्तावेजो में उसका नाम रतनलाल पुत्र भरत सिंह दर्ज हो रहा है। किन्तु राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम रतनसिंह पुत्र भरत दर्ज कर दिया है को दुरूस्त किया जावे।

प्रार्थी को सुनने के प्श्चात हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत फोटोप्रति आधार कार्ड, पहचान पत्र राशनकार्ड एवं सरपंच ग्राम पचायत सरपंच के अनुसार, प्रार्थी का नाम रतनसिंह की जगह रतनलाल किया जानो, एंव प्रार्थी के पिता का नाम भरत की जगह भरत सिहं किया जांना उचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

अतः आदेश है कि:—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि आराजी ख0न0 41/2009 रकबा 0.5100 हे0 खाता संख्या— 212,व 40/2008 रकबा 0.6100हे0 दर्ज खाता संख्या— 213, खसरा न0 58/2010 रकबा 0.9000, 875/2136 रकबा 0.1400, 886/2016 रकबा 0.1100, 961/2012 रकबा 0.5900, 962/2013 रकबा 0. 5400,1043/2014 रकबा 0.3800, 1059/2137 रकबा 0.2400हे0 किता 07 रकबा 2.9000 है0 दर्ज खाता संख्या 701 व खसरा नम्बर 702 रकबा 0.0800है0 दर्ज खातासं0 702 व खसरा नं0 55 रकबा 0.7600, 56 रकबा 0.6600, 972 रकबा 0.5100 हे0 किता 3 रकबा 1. 9300 हे0 दर्ज खाता सं0 703 व खसरा न0 955 रकबा 1.6600 दर्ज खाता सख्या—711 स्थित वाके ग्राम बम्बोरा तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान में प्रार्थी का नाम व प्रार्थी के पिता का नाम समस्त राजस्व रिकार्ड में रतनलाल पुत्र स्व0श्री भरतसिंह दर्ज किया जावे। तदनानुसार ही राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार किशनगढबास को पालनार्थ भिजवाई जावे । प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर लेख भण्डार रहे।

(ओम प्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास(अलवर)